

अपर समाहर्ता का न्यायालय, बोकारो।

विविध 4 (h) वाद संख्या-115/2019-20

(अंचल अधिकारी चास बनाम् राम राज राय, शिवु राम राय,
बृजनन्दन राय)

आदेश की क्रम सं०
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर के
कार्रवाई के बारे
टिप्पणी तारीख सहित

माम

अभिलेख उपस्थापित। भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास /अनुमंडल पदाधिकारी, चास के माध्यम से अंचल अधिकारी, चास का विविध 4(h) वाद संख्या संख्या 65 जमाबंदी रद्द करने से संबंधित अभिलेख प्राप्त हुआ है।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा योगीडीह के खाता नं०-29, प्लॉट नं० 0, रकवा-7.30 ए० की जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ संख्या 37 @160 में राम राज राय, शिवु राम राय, बृजनन्दन राय का नाम दर्ज है। पंजी II में चल रही जमाबंदी को संदेहास्पद मानते हुए रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंचल अधिकारी, चास के द्वारा विधिवत जमाबंदी रैयत राम राज राय, शिवु राम राय, बृजनन्दन राय. पिताको नोटिस निर्गत कर अभिलेख संधारित करते हुए सुनवाई की गयी है। अंचल अधिकारी, चास द्वारा अपने अभिलेख में वर्णित किया गया है कि जमाबंदी रैयत द्वारा जमींदारी उन्मूलन के पूर्व का कागजात यथा-रिटर्न-1, भूमि बंदोवस्ती से संबंधित हुकुमनामा, एम फार्म, जमींदारी रसीद से संबंधित कोई भी कागजात दाखिल नहीं किया गया है।

प्रश्नगत भूमि गैरमजरूआ खास खाते की सरकारी भूमि है। जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ संख्या -37 @160 में राम राज राय, शिवु राम राय, बृजनन्दन राय के नाम से कायम है। भूमि का किस्म पुरातन पतित दर्ज है। भूमि की जमाबंदी पंजी II में बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश पर कायम किया गया है, जो संदेहात्मक है। अंचल अधिकारी, चास द्वारा मौजा योगीडीह, थाना नं०-47 खाता नं०-29, प्लॉट नं०-0 रकवा-7.30 ए० भूमि जिसका किस्म पुरातन पतित है, जिसका जमाबंदी जमाबंदीधारी राम राज राय, शिवु राम राय, बृजनन्दन राय के नाम से पंजी II के पृष्ठ संख्या 37 @160 की जमाबंदी को संदेहात्मक मानते हुए बिहार/झारखण्ड भूमि सुधार

अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

आदेश की क्रम सं०
और तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर


आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित


अंचल अधिकारी, चास /भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास /अनुमंडल पदाधिकारी, चास द्वारा किये गये अनुशंसा पर प्रतिपक्षी राम राज राय, शिबु राम राय, बृजनन्दन राय पिता को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया, जिसका तामिला प्रतिवेदन अभिलेख में संधारित है। सुनवाई के दौरान प्रतिपक्षी (राम राज राय, शिबु राम राय, बृजनन्दन राय) लगातार अनुपस्थित रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उनके पास ऐसी कोई कागजात नहीं है, जिसे वे न्यायालय में दाखिल कर अपना पक्ष रख सकें।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि संबंधित भूमि गैरमजरुआ खास खाते की भूमि है, जो पूर्ण रूप से सरकारी भूमि है। इस भूमि का किसी व्यक्ति विशेष का जमाबंदी कायम होना पूर्ण रूप से अवैध है।

अनुमंडल पदाधिकारी, चास के द्वारा किये गये अनुशंसा एवं सुनवाई के दौरान प्रतिपक्षी के लगातार अनुपस्थित रहने की स्थिति में मौजा-योगीडीह, थाना-47, खाता नं०-29, प्लॉट नं०-0 रकवा-7.30 ए० भूमि की पंजी II के पृष्ठ संख्या 37 @160 में राम राज राय, शिबु राम राय, बृजनन्दन राय के नाम से चल रही जमाबंदी को अवैध/संदेहात्मक मानते हुए BLR Act 1950 की धारा 4(h) के तहत रद्द की जाती है।

रद्द की गई जमाबंदी की सम्पुष्टि सरकार से प्राप्त करने हेतु अभिलेख आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को भेजें।


अधर/समाहर्ता,
बोकारो।


उपायुक्त,
बोकारो।